रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1976 (वैशाख 25, 1898)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1976 (VAISAKHA 25, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	395
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	759
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	11
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	637
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1291
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1687
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	157
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4007
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	431
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	31
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1465
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	75

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	395
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	759
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	637
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1291
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1687
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	157
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	4007
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	431
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	31
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1465
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	75

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1976

सं० 37-प्रेज 76-शुद्धिध पत्र-दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के भारतीय राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 25-प्रेज 75, दिनांक 14 अप्रैल, 1975, में शुद्धि करने हेतु :—

क्रम संख्या 4 में—

बास्ते "श्री रंगनाथ रघु माली"

पढ़ें "श्री रंगनाथ रघु माणे"

कृ० बालचन्द्रन
राष्ट्रपति के सचिव

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 मई 1976

सं० 3/1/ई० सी०/76—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 1 मई, 1976 से आरंभ होने वाली कार्यविधि के लिए प्राक्कलन समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है :—

1. श्री नाथूराम अहिरवार
2. श्री भागवत झा आजाद
3. श्री कुशोक बाकुला
4. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा
5. श्री बी० एस० चौहान
6. चौधरी दलीप सिंह
7. श्री अनादि चरण दास
8. श्री तुलसी दास दासप्पा
9. श्री लक्ष्मण काकाद्य दुमादा
10. श्री ए० दुराईरासु
11. श्री नागेश्वर द्विवेदी
12. श्री मनीराम गोदरा
13. श्रीमती मारजोरे गोडफ्रे
14. श्री डी० पी० जदेजा
15. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान
16. श्री एम० एम० जोसफ
17. श्री जे० जी० कदम
18. श्री बी० एन० कुरील
19. श्री महाराज सिंह
20. श्री यमुना प्रसाद मंडल
21. श्री राम भगत पासवान
22. श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव
23. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
24. श्री एस० रा० रेड्डी
25. डा० सरदीश राय
26. श्री रानेन सेन
27. श्री राम देव सिंह
28. श्री संत बख्श सिंह
29. श्री आर० बी० स्वामीनाथन
30. श्री शिव शंकर प्रसाद यादव

दिनांक 4 मई 1976

सं० 3/1/ई० सी०/76—अध्यक्ष महोदय ने श्री भागवत झा आजाद को 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाली कार्यविधि के लिए प्राक्कलन समिति का सभापति नियुक्त किया है ।

जी० डी० शर्मा
मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1976

सं० ई० 11017/12/75—रा० भा० कार्यान्वयन—भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे :—

1. गठन

1.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री	सदस्य
4.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	सदस्य
5.	अपर सचिव (स्वास्थ)	सदस्य
6.	अपर सचिव (परिवार नियोजन)	सदस्य
7.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव (परिवार नियोजन)	सदस्य

9.	निदेशक (एन० एम० ई० पी०), दिल्ली	सदस्य
10.	निदेशक (एन० आई० सी० डी०), दिल्ली	सदस्य
11.	निदेशक, सी० जी० एच० एस०, नई दिल्ली	सदस्य
12.	चिकित्सा अधीक्षक, विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
13.	चिकित्सा अधीक्षक, सफरदजंग अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
14.	निदेशक एन० आई० एफ० पी०, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सचिव, राजभाषा और हिन्दी सलाहकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)	सदस्य
16.	श्री सुधाकर द्विवेदी, निदेशक, राज भाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	सदस्य
17.	श्री एन० सी० पराशर, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
18.	श्री राजा राम शास्त्री, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
19.	श्री भोगेन्द्र झा, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
20.	(संसद् कार्य विभाग द्वारा अभी नामजद किया जाएगा)	सदस्य
21.	डा० लाकेश चन्द्र, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
22.	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
23.	श्री अक्षय कमार जैन, संपादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	श्री लल्लन प्रसाद व्यास, संपादक, आलोक भारती, के०-37-ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	सदस्य
25.	डा० (श्रीमती) प्रोमिला कपूर, के०-37-ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	सदस्य
26.	प्रो० बद्री नाथ टण्डन, ए० आई० आई० एम० एस०, नई दिल्ली	सदस्य
27.	डा० आर० के० मिश्र, ए० आई० आई० एम० एस०, नई दिल्ली	सदस्य
28.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य विभाग	सदस्य-सचिव
29.	हिन्दी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सहायक-सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का कार्य स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय और उसके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी काम-काज के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देना होगा।

3. कार्यविधि

समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा :

1. समिति में नामजद कोई संसद् सदस्य जैसे ही संसद् सदस्य नहीं रहेगा उसी समय से वह इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा।

2. कार्य-काल के बीच में रिक्त हुआ स्थान उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जायेगा और यह अधिकारी 3 वर्ष की अवधि के बाकी समय के लिये सदस्य होगा।

4. विधिक

1. समिति आवश्यकता समझने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर सकेगी अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी।

2. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. यात्रा व अन्य भत्ता

समिति और इस समिति का उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मन्त्रि-मण्डल सचिवालय, संसद् कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1976

संकल्प

सं० 44/1/76-प्रशासन-एक—केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना, जो अभी केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, द्वीय और समवर्गी इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए देश का प्रमुख संगठन है। यह अनुसंधानशाला बम्बई के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विशेष सिंचाई डिवीजन के अन्तर्गत 1916 में स्थापित की गई थी। 1937 में केन्द्र सरकार ने इस अनुसंधानशाला को अपने हाथ में ले लिया था और 1945 में यह तत्कालीन केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग का एक अंग बन गयी थी।

2. अपने अस्तित्व के साठ वर्षों में अनुसंधानशाला ने गत 25 वर्षों में क्रियान्वित की गई वृहत् नदी घाटी परियोजनाओं के अभिकल्प तैयार करने और देश में पत्तन और बन्दरगाहों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला को एस्केप की क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

3. अनुसंधान कार्य के सतत रूप से चलते रहने को सुनिश्चित करने और अनुसंधान कार्मिकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र के इंजिनियरी संवर्ग को तत्कालीन केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध) अब केन्द्रीय जल आयोग के संवर्ग से मई, 1961 से अलग कर दिया गया था। बहरहाल, देश में सिंचाई और विद्युत् के क्षेत्र में तीव्रता से विकास होने के कारण अनुसंधानशाला में तीसरी योजना अवधि से इसके कार्यकलापों और अनुसंधान कार्मिकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अनुसंधानशाला के व्यापक विस्तार के कारण अभी हाल में जटिल प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधानशाला के द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई न आने पावे, भारत सरकार ने इस अनुसंधानशाला के संस्थागत ढांचे की जांच करने के लिए जिससे कि केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला के कार्य-कलापों का पुनरीक्षण करने के लिए और यह देखने के लिए कि इसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त ढंग से सज्जित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निर्णय किया है :—

4. इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1)	डाक्टर एम० एस० स्वामीनाथन, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और सचिव, भारत सरकार . . .	अध्यक्ष
(2)	श्री हरि सिंह चौधरी, सचिव, राजस्थान सरकार और अध्यक्ष, राजस्थान नहर बोर्ड, जयपुर .	सदस्य
(3)	श्री एस० जैड० कासिम, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ . .	सदस्य
(4)	डाक्टर वी० के० आइया, परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई . .	सदस्य
(5)	श्री एन० अमीन, अध्यक्ष ज्योति इण्डिया लिमिटेड, बड़ौदा .	सदस्य
(6)	श्री पी० एम० माने, भूतपूर्व सदस्य (प्र० एवं अनु०) केन्द्रीय जल आयोग और अब सलाहकार, बम्बई	सदस्य
(7)	श्री जे० पी० नएगामवाला, अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड, चंडीगढ़ .	सदस्य
(8)	श्री पी० सी० सक्सेना, निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना . .	सदस्य-सचिव

5. यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) अनुसंधानशाला द्वारा जल और विद्युत् विकास से संबंधित हाथ में ली गई स्कीमों पर कार्यवाही करने में इष्टतम दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला की संगठनात्मक संरचना का पुनरीक्षण।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्रक्रियात्मक मामले जैसे परियोजनाओं की जांच, स्कीमों की स्वीकृति, वित्तीय अनुमोदन आदि में अनुचित देरी किए बगैर और कम-से-कम समय में पूर्ण किए जाएं, यदि आवश्यक हो तो संशोधित उपायों की सिफारिश करना।

(3) उपयुक्त स्टाफ के ढांचे, भर्ती की प्रक्रियाओं, अनुसंधान कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं निष्पादन के मूल्यांकन का सुझाव देना।

(4) केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना के प्रचालन में निर्देशन के लिए संचालन परिषद् के गठन की वांछनीयता पर विचार करना और यदि हां, तो परिषद् के गठन पर सुझाव देना।

(5) केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला एवं अन्य वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी संस्थान जो ऐसे ही संबंधित क्षेत्रों पर कार्यरत हैं दोहरे प्रयासों से बचाने के लिए और विशेषकर केन्द्रीय भू-यांत्रिक अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के बीच गहन समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव देना।

(6) अनुसंधानशाला के राष्ट्रीय महत्व को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला में इष्टतम दक्षता को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य सिफारिशें करना जो समिति उपयुक्त समझे तथा इसके लिए सहायक हों।

6. यह समिति अपने गठन के चार महीनों की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई विभाग को प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सी० सी० पटेल, अपर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1976

संकल्प

सं० एफ० 48-91/75-यू० टी०-1—दिल्ली संघ क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा की कोटि और स्तर ऊंचा उठाने का प्रश्न पिछले

कुछ समय से सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के ध्यान में रहा है। मई, 1975 से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र से नौवीं कक्षा से शुरू होने वाली नई शिक्षा पद्धति, अर्थात् 10+2 को लागू करने के निर्णय के फलस्वरूप यह विषय अब अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। संशोधित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत दसवीं कक्षा तक के लिए सभी बच्चों के लिए कार्य-अनुभव का कार्यक्रम अनिवार्य होगा। ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। बहुत से छात्रों को सह-पाठ्यचर्या कार्य-कलापों में शामिल किया जाएगा। गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए भी स्कूलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होंगी। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, स्कूल शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए कई नए उपाय भी प्रस्तावित किए गए हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाए गए इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लए ठोस कार्रवाई करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक ऐसी समिति स्थापित करने का अब निर्णय किया है जो वर्तमान स्टाफ-स्थिति का गहन अध्ययन करे तथा इस सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करे। उक्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. डा० एस० एम० एस० चारी,
   संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
   भारत सरकार,
   शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय,
   नई दिल्ली । अध्यक्ष

2. श्री आर० एन० पी० सिन्हा,
   उप वित्त सलाहकार (शिक्षा),
   वित्त मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   नई दिल्ली । सदस्य

3. श्री ए० विश्वास,
   शिक्षा निदेशक,
   दिल्ली प्रशासन,
   दिल्ली । सदस्य-सचिव

2. निम्नलिखित बातों के बारे में विचार करना तथा उन पर सिफारिशें करना समिति के विचारार्थ विषय होंगे :—

(i) स्कूलों के निरीक्षणात्मक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर पदों की जरूरत निर्धारित करने के उद्देश्य से मौजूदा स्टाफ-स्थिति।

(ii) कोई अन्य आकस्मिक तथा संगत मामला जो ऐसे परिवर्तन तथा स्तर वृद्धि से उत्पन्न हुआ हो।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय तथा मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एन० चक्रा, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd May 1976

No. 37-Pres./76—*Corrigendum*.—The following amendments are made to this Secretariat's Notification No. 25-Pres./75, dated 14th April, 1975, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated the 26th April 1975 :—

At Serial No. 4—

For "Shri Ranganath Raghu Mali"

Read ('Shri Ranganath Raghu Mane"

K. BALACHANDRAN, Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st May 1976

No. 3/1/EC/76.—The following Members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 1976 :—

1. Shri Nathu Ram Ahirwar.
2. Shri Bhagwat Jha Azad.
3. Shri Kushok Bakula.
4. Shri Hemendra Singh Banera.
5. Shri B. S. Chowhan.
6. Chaudhry Dalip Singh.
7. Shri Anadi Charan Das.
8. Shri Tulsidas Dasappa.
9. Shri Laxman Kakadya Dumada.
10. Shri A. Durairasu.
11. Shri Nageshwar Dwivedi.
12. Shri Mani Ram Godara.
13. Shrimati Marjorie Godfrey.
14. Shri D. P. Jadeja.
15. Shri Md. Jamilurrahman.
16. Shri M. M. Joseph.
17. Shri J. G. Kadam.
18. Shri B. N. Kureel.
19. Shri Maharaj Singh.
20. Shri Yamuna Prasad Mandal.
21. Shri Ram Bhagat Paswan.
22. Shrimati B. Radhabai Ananda Rao.
23. Shri M. Ram Gopal Reddy.
24. Shri S. R. Reddy.
25. Dr. Saradish Roy.
26. Shri Ranen Sen.
27. Shri Ram Deo Singh.
28. Shri Sant Bux Singh.
29. Shri R. V. Swaminathan.
30. Shri Shiv Shankar Prasad Yadav.

The 4th May 1976

No. 3/1/EC/76.—The Speaker has been pleased to appoint Shri Bhagwat Jha Azad, as the Chairman of Estimates Committee for the term beginning on the 1st May, 1976.

G. D. SHARMA,
Chief Financial Committee Officer

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 2nd April 1976

RESOLUTION

No. E.11017/12/75-OLI.—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the

Ministry of Health and Family Planning. The composition and functions etc. of the Samiti will be as follows :—

I. Composition

Chairman

1. Minister for Health and Family Planning.

Vice-Chairman

2. Minister of State for Health and Family Planning.

Members

3. Deputy Minister for Health and Family Planning.
4. Secretary, Health & Family Planning.
5. Addl. Secretary (Health).
6. Addl. Secretary (Family Planning).
7. Director General of Health Services.
8. Joint Secretary (Family Planning).
9. Director (NMEP), Delhi.
10. Director, NICD, Delhi.
11. Director, CGHS, New Delhi.
12. Medical Superintendent, Safdarjang Hospital, New Delhi.
13. Medical Superintendent, Willingdon Hispital, New Delhi.
14. Director, NIFP, New Delhi.
15. Secretary, Official Languages and Hindi Adviser, Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Languages).
16. Shri Sudhakar Dwivedi, Director, Deptt. of O.L.
17. Shri N. C. Prashar, M.P. (Lok Sabha).
18. Shri Raja Ram Shastri, M.P. (Lok Sabha).
19. Phogendra Jha, M.P. (Lok Sabha).
20. (To be nominated by the Deptt. of Parliamentary Affairs).
21. Dr. Lokesh Chandra, M.P. (Rajya Sabha).
22. Smt. Vidyawati Chaturvedi, M.P. (Rajya Sabha).
23. Shri Akshay Kumar Jain, Editor, Nav Bharat Times, New Delhi.
24. Shri Lallan Prashad Vyas, Editor, Aloka Bharati, K-37-A, Green Park, New Delhi.
25. Dr. (Mrs.) Promilla Kapur, K-37-A, Green Park, New Delhi.
26. Prof. Badri Nath Tandon, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
27. Dr. R. K. Mishra, All India Institute of Medicine Sciences, New Delhi.

Member-Secretary

28. Joint Secretary (Admn.), Deptt. of Health.

Asstt. Member-Secretary

29. Hindi Officer, Deptt. of Health.

II. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Government on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes in the Ministry and its attached/subordinate offices.

III. Terms & Conditions

The term of the Samiti will be 3 years from the date of its formation provided that,—

1. A member of Parliament, nominated to this Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
2. Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office. He shall be a Member for the residue of the term of three years.

IV. General

1. The Samiti may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees as may be deemed necessary.

2. Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. Travelling and other Allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Govt. of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Sectt., Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President's Sectt., Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R. and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 15th April 1976

RESOLUTION

No. 44/1/76-Adm.I.—The Central Water and Power Research Station, Poona, which is at present functioning as a subordinate office of the Central Water Commission, is the premier organisation in the country for research and development in the field of hydraulic and allied engineering. The Research Station had its origin in 1916 in the special Irrigation Division of the Public Works Department, Bombay. The Station was taken over by the Central Government in 1937 and became part of the then Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission in 1945.

2. During the sixty years of its existence, the Research Station has made valuable contributions in connection with the design of major river valley projects executed during the past 25 years and also in the development of ports and harbours in the country. The Central Water and Power Research Station has also been recognised as the Regional Laboratory of ESCAP.

3. In order to ensure continuity in research work and to offer better facilities to research personnel, the engineering cadres of the Central Water and Power Research Station were separated from the cadres of the erstwhile Central Water and Power Commission (Water Wing), now Central Water Commission, in May, 1961, on account, however, of the rapid development of irrigation and Power sectors in the country, the activities and the number of research personnel in the Research Station have grown several fold since the Third Plan period. The large expansion of the Research Station has lately posed complicated administrative problems. With a view to examine the institutional structure of the Research Station in order that there may be no bottlenecks in the execution of the various research projects taken up by it, the Government of India have decided to set up a high level Committee to review the functioning of the Central Water and Power Research Station to ensure that it gets properly equipped to fulfil its objectives.

4. The Committee shall consist of the following:—

Chairman

(1) Dr. M. S. Swaminathan,
Director General, ICAR and
Secretary to the Government of India.

Members

(2) Shri Hari Singh Choudhary,
Secretary to the Government of Rajasthan and
Chairman, Rajasthan Canal Board,
Jaipur.

(3) Shri S. Z. Quasim,
Director,
National Institute of Oceanography,
Goa.

(4) Dr. V. K. Iya,
Atomic Energy Commission,
Bombay.

(5) Shri N. Amin,
Chairman,
Jyoti India Ltd.,
Baroda.

(6) Shri P. M. Mane,
Ex-Member (D&R),
Central Water Commission
and now Consultant,
Bombay.

(7) Shri J. P. Naegamvala,
Chairman,
Bhakra Management Board,
Chandigarh.

Member-Secretary

(8) Shri P. C. Saxena,
Director,
Central Water & Power Research Station,
Poona.

5. The Committee will :—

(i) Review the organisational structure of the Central Water & Power Research Station with a view to ensure maximum efficiency in processing the schemes relating to water and power development undertaken by the Research Station.

(ii) Recommend revised measures, if necessary, to ensure that various procedural matters like scrutiny of projects, sanctioning of schemes, financial approval etc., are completed without undue delays and within the minimum time.

(iii) Suggest suitable staffing pattern, methods of recruitment, training of research personnel and assessment of performance.

(iv) Consider the desirability of constituting a governing council to direct the working of the Central Water & Power Research Station, Poona and if so, the composition of the Council.

(v) Suggest the mechanism to ensure close co-ordination between the Central Water and Power Research Station and other Scientific and Engineering Institutes engaged on work in related fields so as to avoid duplication of efforts and particularly with the Central Soil Mechanics Research Station, C.W.C., New Delhi.

(vi) Make any other recommendations as the Committee may deem fit which would enable the Central Water & Power Research Station to achieve maximum efficiency in keeping with the national importance of the Research Station.

6. The Committee shall submit its Report to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Irrigation, within a period of four months of its constitution.

ORDER

Ordered that the above Resolution may be published in the Gazette of India.

C. C. PATEL, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 22nd April 1976

RESOLUTION

No. F.48-91/75-UT.1.—The question of improving the quality and standard of school education in the Union Territory of Delhi has been engaging the attention of Government as well as the Delhi Administration for some time past. This has now assumed importance consequent upon the decision to introduce the new parttern of school education, namely '10+2', starting with class IX from the academic session beginning in May, 1975. Under the revised curricula, programme of work-experience will be compulsory for all children upto class X Vocational courses will be introduced in classes XI and XII. A large number of students will be involved in co-curricular activities. The facilities of the school will also have to be made available for non-formal education. Under the Delhi School Education Act, 1973, and the rules framed thereunder a number of new measures for improving the quality of school education have also been proposed. In order to take concrete action to implement these important programmes, aimed at improving the standard of education, Government of India have now decided to set up a Committee to make a thorough study of the existing staffing position and make suitable recommendations in this regard. The Committee will comprise the following :—

1. Dr. S. M. S. Chari, Joint Educational Adviser, to the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi. Chairman.

2. Shri R. N. P. Sinha,
Deputy Financial Adviser (Education),
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi. Member

3. Shri A. Biswas,
Director of Education,
Delhi Administration,
Delhi. Member-Secretary

2. The terms of reference of the Committee will be to consider and make recommendations in regard to :—

(i) The existing staff position with a view to determining the need of posts at different levels for supervisory and administrative work in the schools.

(ii) Any other incidental and consequential matter arising out of such change over and up-gradation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Financial Adviser, Ministry of Finance, New Delhi and the Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. CHANNA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976